रमेश दास

बनाम

रघु नाथ व अन्य

आपराधिक अपील संख्या 313/2008

14 फरवरी 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860; धारा 148, 323, 324, 325 सपठित धारा 149/ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 360 और 361:

गंभीर चोट- संयुक्त दायित्व- विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 148, 323, 324, 326 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया--उच्च न्यायालय द्वारा सजा को घटाया गया -दोषी द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर -सजा बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा अपील दायर की गई -उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 360 के तहत आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रिहा करने के निर्देश को खारिज कर दिया गया। -उपयुक्तता अभिनिर्धारित- गलत -विधायिका का आदेश है कि न्यायालय किसी भी लाभकारी प्रावधान को लागू कर सकते हैं, या तो संहिता की धारा 360 या परिवीक्षा अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण अंतर वाले दो क़ानूनों का एक ही समय में सह-अस्तित्व में रहने का इरादा नहीं किया जा सकता है-सामान्य धारा अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रावधानों के संदर्भ में, परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, और संहिता की धारा 360 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं- मामला कानून के अनुसार तय करने के

लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया- सामान्य खंड अधिनियम- धारा 8(1)- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958- धारा 3, 4 और 12.

प्रतिवादी-अभियुक्तगण को आईपीसी की धारा 148, 323, 324 और 326 सहपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। इसने उन्हें कारावास की सजा भी सुनाई, जुर्माना लगाया और जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि से पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर अपील में, अपीलीय अदालत ने आईपीसी की धारा 323 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में सजा को घटाकर तीन साल कर दिया। आरोपी व्यक्तियों ने विचारण न्यायालय के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की और राज्य ने सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया लेकिन निचले न्यायालयों के फैसले को संशोधित करते हुए आरोपी व्यक्तियों को 360 सीआरपीसी के तहत परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया और जुर्माना बढ़ा दिया इसलिए सूचना देने वाले द्वारा वर्तमान अपीलें दायर की गई।

सूचित करने वाले ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है चूंकि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम हरियाणा राज्य पर लागू है, धारा 360 लागू नहीं है; और किसी भी स्थिति में, आईपीसी की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसलिए, संहिता की धारा 360 का भी कोई उपयोग नहीं है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 किसी विशेष क्षेत्र में परिवीक्षा अधिनियम का प्रवर्तन उस क्षेत्र में संहिता की धारा 360, 361 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करता है। (पैरा- 7 [852-बी])

छन्नी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006 (5) एससीसी 396) और दलजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2006 (6) एससीसी 159- पर भरोसा किया गया।

जगदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (1973) एससीसी (सीआरएल.) 977)- संदर्भित।

1.2 जहां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं वहां संहिता की धारा 360 का नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदन के मामलों में, यह एक अवैधता होगी जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अवांछनीय परिणाम होंगे, जिसे विधायिका, जिसने परिवीक्षा अधिनियम और संहिता को जन्म दिया, दूर करना चाहती थी। फिर भी विधायिका ने अपने विवेक से संहिता की धारा 361 के तहत न्यायालय को अन्य लाभकारी प्रावधानों में से एक को लागू करने के लिए बाध्य किया है, चाहे वह संहिता की धारा 360 हो या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान। केवल विशेष कारण प्रदान करके ही न्यायालय द्वारा उनकी प्रयोज्यता को रोका जा सकता है। (पैरा-5) [851-ए, बी और सी]

1.3 संहिता की धारा 360 पर्यवेक्षण और अन्य मामलों के संबंध में न्यायालयों की सहायता में परिवीक्षा अधिकारियों के लिए कोई भूमिका प्रदान नहीं करती है, जबकि परिवीक्षा अधिनियम ऐसा प्रावधान करता है। जबकि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अपराध का दोषी पाया गया है और परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत निस्तारित किया गया है, उसे किसी भी कानून के तहत अपराध की सजा से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा, संहिता ऐसा नहीं करती है समांतर प्रावधान शामिल है। इतने महत्वपूर्ण अंतर वाले दो क़ानूनों का एक ही समय में एक ही क्षेत्र में सह-अस्तित्व में रहने का इरादा नहीं किया जा सकता है। इस तरह के सह-अस्तित्व से असामान्य परिणाम होंगे। किसी दिए गए क्षेत्र में एक ही समय में लागू होने वाले संहिता की धारा 360 के प्रावधानों

और परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को बनाए रखने का इरादा धारा 360 के प्रावधानों या संहिता के किसी अन्य प्रावधान से एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8(1) के आधार पर, जहां अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है, संहिता की धारा 360 के प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं हैं। (पैरा- 6) [851 एफ, जी और एच; 852-ए एवं बी]

2. संहिता की धारा 360 का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने कानून में सही स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है। मामला उच्च न्यायालय को इस आधार पर संहिता की धारा 360 की गैर-प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए भेजा गया है कि परिवीक्षा अधिनियम लागू है और धारा 326 में आजीवन कारावास का प्रावधान है। (पैरा- 11 एवं 12) [852-ई एवं एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 313/2008

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 782/1991 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 8.5.2006 से।

के साथ

आपराधिक अपील संख्या 314/2008

अपीलकर्ता की ओर से: डॉ. कंवल सप्रा, ज्ञानेश्वर भट्ट, बी.बी. सिन्हा, ए.एल. त्रेहन और टी.वी. जॉर्ज।

प्रतिवादीगण की ओर से: लिली थॉमस, ए.के. पाणिग्रही और ए रमा देवी।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. ये दोनों अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर आधारित हैं। विवादित निर्णय द्वारा सूचना देने वाले द्वारा एक आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया और सजा बढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील का निस्तारण किया गया।

उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 148 और 326 सपठित धारा 149, धारा 325 सपठित धारा 149, धारा 324 सपठित धारा 149 और धारा 323 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत आरोपित दंडनीय अपराधों के लिए विचारण का सामना करना पड़ा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया और निम्नलिखित तरीके से सजा सुनाई गई:

धारा(यें)	सजा	जुर्माना
326/149 आईपीसी	5 वर्ष का सश्रम कारावास	प्रत्येक पर 5000 रुपये। जुर्माने में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास
325/149 आईपीसी	2 वर्ष का सश्रम कारावास	प्रत्येक पर 5000 रुपये। जुर्माने में व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का सश्रम कारावास
148 आईपीसी	6 माह का सश्रम कारावास	
323/149 आईपीसी	3 माह का सश्रम कारावास	

सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया। यह निर्देशित किया गया था कि यदि लगाए गए जुर्माने की राशि वसूल हो जाती है, तो 20,000/- रुपये की राशि सूचना देने वाले पिंडी दास को, जो घायल हो गया था, मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाना था और 5,000/- रुपये की राशि भी एक अन्य पीड़ित घायल रमेश दास को दी जानी थी।

आरोपी व्यक्तियों ने अपील दायर की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल ने धारा 326 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत सजा को घटाकर तीन साल कर दिया, लेकिन अन्य सभी सजाओं और विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा। अभियुक्त व्यक्तियों ने विचारण न्यायालय के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हरियाणा राज्य ने सजा बढ़ाने के लिए एक अपील दायर की और सूचना देने वाले ने एक पुनरीक्षण आवेदन भी दायर किया। उच्च न्यायालय ने सजा बढ़ाने के लिए राज्य की आपराधिक अपील और घायलों के आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, लेकिन निचली अदालतों के फैसले को संशोधित किया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 के तहत आरोपी व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया (संक्षेप में 'अधिनियम') और प्रत्येक की जुर्माना राशि बढ़ाकर 15,000/- रुपये कर दी गई और निर्देशित किया गया कि 50% घायल पिंडी दास को देय होगा। यह भी नोट किया गया कि इस बीच पिंडी दास का निधन हो चुका है।

3. सूचना देने वाले के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सबसे पहले, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (संक्षेप में 'परिवीक्षा अधिनियम') हरियाणा राज्य पर लागू

है और इसलिए, धारा 360 लागू नहीं है। किसी भी स्थिति में आईपीसी की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसलिए, संहिता की धारा 360 का भी कोई उपयोग नहीं है।

4. अभियुक्त प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। इसने आगे कहा कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना बहुत पहले हुई थी, इस न्यायालय को संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 532/2006 से संबंधित आपराधिक अपील में हरियाणा राज्य-अपीलकर्ता ने उस सूचना देने वाले के संदर्भ का समर्थन किया जो विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 4646/2006 से संबंधित आपराधिक अपील में अपीलकर्ता है।

5. जहां परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं वहां संहिता की धारा 360 का नियोजन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदन के मामलों में, यह एक अवैधता होगी जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक अवांछनीय परिणाम होंगे, जिसे विधायिका, जिसने परिवीक्षा अधिनियम और संहिता को जन्म दिया, दूर करना चाहती थी। फिर भी विधायिका ने अपने विवेक से संहिता की धारा 361 के तहत न्यायालय को अन्य लाभकारी प्रावधानों में से एक को लागू करने के लिए बाध्य किया है; चाहे वह संहिता की धारा 360 हो या परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान। केवल विशेष कारण प्रदान करके ही न्यायालय द्वारा उनकी प्रयोज्यता को रोका जा सकता है। परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तुलनात्मक उन्नयन को संहिता की धारा 360 की उप-धारा (10) में भी देखा गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि उक्त धारा में कुछ भी परिवीक्षा अधिनियम

के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। उन प्रावधानों की उन संबंधित क्षेत्रों में अपनी सर्वोपरिता है जहां वे लागू होते हैं।

6. संहिता की धारा 360 केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 21 वर्ष से कम आयु के नहीं हैं जिन्हें केवल जुर्माने या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति या किसी ऐसी महिला को जो किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का दायरा बहुत व्यापक है। यह किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जिसके लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं है। संहिता की धारा 360 पर्यवेक्षण और अन्य मामलों के संबंध में न्यायालयों की सहायता में परिवीक्षा अधिकारियों के लिए कोई भूमिका प्रदान नहीं करती है, जबकि परिवीक्षा अधिनियम ऐसा प्रावधान करता है। जबकि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत निस्तारित किया है, उसे किसी भी कानून के तहत अपराध की सजा से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करना पड़ेगा, संहिता में समानांतर प्रावधान नहीं है। इस तरह के महत्वपूर्ण अंतर वाले दो कानूनों का एक ही क्षेत्र में एक ही समय में सह-अस्तित्व का इरादा नहीं हो सकता है। इस तरह के सह-अस्तित्व से विषम परिणाम सामने आएंगे। संहिता की धारा 360 के प्रावधानों और परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों को किसी दिए गए क्षेत्र में एक ही समय में लागू करने का आशय धारा 360 के प्रावधानों या संहिता के किसी अन्य प्रावधान से एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8(1) के आधार पर, जहां अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है, संहिता की धारा 360 के प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं।

7. किसी विशेष क्षेत्र में परिवीक्षा अधिनियम का प्रवर्तन उस क्षेत्र में संहिता की धारा 360, 361 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को निष्काषित करता है।

8. उपरोक्त स्थिति को छन्नी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006 (5) एससीसी 396) और दलजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2006 (6) एससीसी 159) में उजागर किया गया था।

9. इसके अलावा, संहिता की धारा 360 (1) में ही यह प्रावधान है कि यदि किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, तो संहिता की धारा 360 का कोई उपयोग नहीं होगा।

10. निर्विवाद रूप से, जगदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (1973 एस सी सी (आपराधिक) 977) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 360 का कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि भा.दं.सं. सी. की धारा 326 के तहत उक्त अपराध में आजीवन कारावास का प्रावधान है। किसी भी स्थिति में, वह प्रश्न अकादमिक है।

11. ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, संहिता की धारा 360 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने कानून में सही स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है।

12. उपरोक्त स्थिति होने के कारण, मामला उच्च न्यायालय को इस आधार पर संहिता की धारा 360 की गैर-प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए भेजा जाता है कि परिवीक्षा अधिनियम लागू है और धारा 326 में आजीवन कारावास का प्रावधान है।

13. हर्जे खर्चे के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलें स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस.

अपीलें स्वीकार की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।